न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS.
पत्रावली संख्या : 20/15 (अपील)

अनवान

1. श्रीमती नारायणी पुत्री जवाना पत्नी मथुरा भील निवासी अम्बावेरी, तहसील मावली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जवाना पिता गांगा भील निवासी तुलसीदास की सराय तह.मावली।
2. श्री छगनलाल पिता पन्नालाल भील निवासी देवाली गोवर्धन विलास तह.गिर्वा उदयपुर।
3. श्री कैलाश पिता उदा भील निवासी तुलसीदास की सराय तह.मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह.मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : 1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री सुरपाल सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
अपील विरुद्ध निर्णय ग्रा.प. तु.की सराय, बाबत ना. सं. 1016 दि. 05.03.2014

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 12.03.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत तुलसीदास की सराय बाबत् नामान्तरण संख्या 1016 दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है ग्राम तुलसीदास की सराय पटवार हल्का गुडली तह. मावली आराजी नम्बर 578, 579 किता 2 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के पिता के नाम वर्तमान में सम्पुर्ण हिस्सा दर्ज था। ताि वर्तमान में उक्त आराजीयात का सम्पुर्ण हिस्सा विपक्षी सं. 2 व 3 के नाम पद दर्ज है।
2. मैं प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 की जायंदा सन्तान हुं इस कारण मुझ प्रार्थीया ने एक वाद आप न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत कर रखा है उसी के साथ दिनांक 02.01.2013 को कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के बाबत् एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जिसे आवश्यक प्रकृति का मानकर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया जिसके प्रार्थना पत्र कमांक 04/13 है जिसमें विपक्षी संख्या 1, 4 व 5 को पाबन्द किया था। तथा विधिवत रूप से सुचनार्थ तामिले जारी की गयी विपक्षी संख्या 4,5 की तामिल दिनांक 10.01.2013 को हो चुकी थी अन्य विपक्षी को भी सम्मन प्राप्त हो चुके थे। विपक्षी सं. 4 द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में आदेश का अंकन नहीं किया गया जिसके तहत विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में विपक्षीगणों के मध्य सहमति बंटवाडा निष्पादित कर राजस्व रेकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
मावली

Scanned by CamScanner

बदलाव कर दिया इसके उपरान्त आपके आदेश की अवहैलना कर दिया इसके उपरान्त आपके आदेश की अवहैलना जारी रही है और विपक्षी संख्या 2 व 3 के पक्ष में बिकावनामा निष्पादित कर उक्त आराजीयात पर आप न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द कर दिया जो कि नकल जमाबन्दी में ना.स. 1016 दिनांक 05.03.2014 अंकित है इस तरह दिनांक 02.01.2013 के बाद से आप न्यायालय के आदेश की अवहैलना करते हुए विपक्षीगणों ने 2 बार राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर हस्तक्षेप किया है।

3. विपक्षीगणों ने जानबुझकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहैलना कर उक्त कृत्य किया है जो कि अवैद्धानिक है तथा स्थगन होने के बावजूद खोले गए नामान्तरकरण शून्यकरणीय है तथा आप न्यायालय के आदेश की अवहैलना होने से भी उक्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है।
4. प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 16.11.2015 को पैदा हुआ जब प्रार्थीया की उक्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 2 व 3 मौके पर जमीन का कब्जा जबरन ताकत के बल पर प्राप्त करने पर उतारू हुए जिस पर मुझ प्रार्थीया ने अपने खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि आप न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण खोल दिये गये व विपक्षी संख्या 1 द्वारा मेरी हक एवं हिस्से की जमीन को विपक्षी संख्या 2 व 3 को विकय कर दी है इस पर उप पंजीयन कार्यालय मावली से विकय पत्र की नकले अब ली इससे पूर्व मुझ प्रार्थीया को इस बात की जानकारी नहीं थी।
5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध इस अमर का आदेश फरमाया जावे कि विपक्षीगणों ने माननीय आप न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 02.01.2013 की अवहैलना कर कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात परिशिष्ठ में उक्त नामान्तरकरण खोलकर राजस्व रेकार्ड में बदलाव किया है इस कारण उक्त नामांतरकरण को खारिज फरमाया जावे।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तरकरण सही खुला होने का कथन कर अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 1016 दिनांक 05.03.2014 को ग्राम पंचायत तुलसीलदा की सराय द्वारा पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण संख्या 04/13 प्रार्थना पत्र नारायणी बनाम जवाना के आदेशिकाओं की नकल प्रस्तुत की जिसमें आदेशिका दिनांक 02.01.2013 से विपक्षीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। मूल पत्रावली के अवलोकन से पक्षकारान को नोटिस दिनांक 21.01.2013 को एवं पटवारी हल्का को दिनांक 10.01.13 को तामील हो चुकी है, जिससे पक्षकारान को स्थगन की पुरी जानकारी होना जाहिर आया है। चूंकि प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात उक्त नामान्तरण संबन्धी परिवर्तन हुए है। जो कि स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आते है। प्रथम दृष्टया

अधिकारी

Scanned by CamScanner

देखने पर उक्त प्रार्थना ग्रस्त भूमि का कोर्ट में प्रकरण चलने से विवादित भूमि थी। अतः विवादित भूमि के नामांतरकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है जो खारिज योग्य है। चूंकि न्यायालय के स्थगन होने से स्थगन के पश्चात होने वाले सभी परिवर्तन शून्य की श्रेणी मे आते है अतः अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तुलसीदास की सराय द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 1016 दिनांक 05.03.2014 को अपास्त किया जाता है, तथा स्थगन होने से स्थगन दिनांक 02.01.2013 के पश्चात होने वाले सारे परिर्वतन अपास्त किये जाते है। उक्त परिवर्तन प्रकरण संख्या 04/13 प्रा.पत्र एवं उसके मूल वाद में निर्णय के अधीन रहेंगे। पालनार्थ तहसीलदार मावली को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

(मोहन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

उपखण्ड अधिकारी
मावली

Scanned by CamScanner